भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

वैश्विक मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षण संस्थान

3. **श्री सतपाल ब्रह्मचारी:**
श्री कीर्ति आजाद:
श्री जुगल किशोर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में परिकल्पित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई है/तैयार की जा रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): विश्व स्तरीय संस्थान योजना, जिसे प्रतिष्ठित संस्थान (आईओई) योजना के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2017 में शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता के साथ की अलग श्रेणी के संस्थान बनाने के लिए शुरू की गई थी ताकि उचित समय अवधि में विश्व स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभर सकें। निजी संस्थानों के लिए 'यूजीसी (सम विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित संस्थान) विनियम, 2017' और सार्वजनिक संस्थानों के लिए 'यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में घोषित

करना) दिशानिर्देश, 2017' द्वारा एक सक्षम नियामक संरचना प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 12 संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान (आईओई) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

इसके अलावा, यूजीसी ने देश में गुणवत्तापूर्ण नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करके उच्चतर शिक्षा को वैश्विक मानकों तक बढ़ाने के लिए कई विनियम/फ्रेमवर्क/दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। कुछ पहलों में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) आदि का निर्माण शामिल है।

(ग): उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में बदलाव लाने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के एक कार्यक्षेत्र के रूप में संस्थानों के प्रत्यायन के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) की परिकल्पना की गई है।

*****